

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
पटना, बिहार
अधिधोषणा

पत्रांक.....

दिनांक.....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-हरदीया थाना-बैकुण्ठपुर थाना नं०-292 परांगना-मडहल जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर यानि बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिधोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम-हरदीया में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.08 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं०- निम्न प्रकार है।

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा नं०- 487 अंश, 490 अंश, ।

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर - 350 आम सड़क

पूरब - 435 अंश, 436 अंश, 488 अंश, 489 अंश, ।

दक्षिण - 485 अंश, 484 अंश, ।

पश्चिम- 494 अंश, 486 अंश, 490 अंश ।


भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, स्लेटो या अन्य खान खनिजों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खान या खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है उनके निर्माण के लिए खोदना उपयोग में लाना हो तो ले लिए जायेंगे।

यह अधिधोषणा भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०-


समाहता सरकार के उच्च सचिव
गोपालगंज। बिहार पटना।

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतिया को दो दैनिक समाचार पत्रों से जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट समाहरणालय शाखा, गोपालगंज को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की अतिरिक्त 10-10 प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं समाहर्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

SW
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

a